संख्या- 7/2015/2758/33-2-2015-125जी/2005

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी,
समस्त जिला पंचायतें, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 11 दिसम्बर, 2015

विषय:- जिला पंचायत के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-5693बी/33-2-15-100(34)/1973, दिनांक 31.12.1987 एवं शासनादेश संख्या-3953बी/33-2-91-47जी/1991, दिनांक 23.10.1991 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिला परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को हृदय रोग बाई पास सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा चिकित्सा भत्ता उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए पूर्व में विध्यमान समस्त नियमों और आदेशों को अवक्रमित करते हुए चिकित्सा विभाग की अधिसूचना संख्या-2775/5-6-1082/1987, दिनांक 20.09.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 यथासंशोधित नियमावली, 2014 प्रख्यापित की गयी हैं।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त जिला पंचायतों में कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्गत विभागीय शासनादेश दिनांक 31.12.1987 व दिनांक 23.10.1991 तथा इस संबंध में निर्गत अन्य शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए चिकित्सा विभाग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 को पंचायतीराज विभाग द्वारा अंगीकृत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है। उक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

नियमावली की शर्तो, नियमों तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4- चिकित्सा प्रतिपूर्ति का समस्त व्ययभार जिला पंचायत, जिला निधि से वहन करेगी। शासन द्वारा इस हेतु कोई आय-व्ययक आवंटित नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
ह/0
(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 7/2015/2758(1)/33-2-15-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
3- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
7- पंचायतीराज अनुभाग-1/3 ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह/0
(अरविन्द प्रधान)
उप सचिव।

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।